न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/143/2021 रजू दिनांकः 07.09.2021 रजि0 न0 2021/271

अपीलार्थीः–

श्री हरिओम गुप्ता पुत्र श्री प्रसादी लाल निवासी ग्राम पोस्ट नसवारी पं0स0 गोविन्दगढ़, अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 11.10.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2021 प्रस्तुत कर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 11.10.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी, अलवर ने अपने पत्रांक रसद/स्था0/2021/10602 दिनांक 24.09.2021 के द्वारा जवाब पेश कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना भिजवा दी गई है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को भिजवाई गई सूचना की प्रति से ना तो न्यायालय को अवगत कराया है और ना ही सूचना की प्रति अपीलार्थी को भिजवाई गई है के संबंध में भी कोई रिपोर्ट/सूचना प्रस्तुत नही की है। जिससे यह स्पष्ट नही है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है साथ ही लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी, अलवर को निर्देशित किया जाता है, कि अपीलार्थी को वांछित सूचना यदि नियमों के अनुसार देयता की श्रेणी में आती हो तो वांछित सूचना निःशुल्क अधिप्रमाणित कर जरिये रजिस्टर्ड पत्र के उपलब्ध करवावें।
7. निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)

जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर, अलवर